संलग्नक-क

<u>प्रेस विज्ञप्ति</u>

कर्मचारी राज्य बीमा निगम ने **शिमला, हिमाचल प्रदेश** में आयोजित अपनी **196वीं निगम बैठक** में **"नियोक्ताओं एवं कर्मचारियों के पंजीकरण को प्रोत्साहित करने की योजना - स्प्री 2025"** को अनुमोदित किया। **माननीय श्रम एवं रोजगार तथा युवा कार्य एवं खेल मंत्री डॉ. मनसुख मांडविया** ने इस बैठक की अध्यक्षता की।

<u>स्प्री 2025</u>

कर्मचारी राज्य बीमा निगम द्वारा अनुमोदित, नियोक्ताओं एवं कर्मचारियों के पंजीकरण को प्रोत्साहित करने की योजना(स्प्री) 2025, क.रा.बी.निगम अधिनियम के अंतर्गत सामाजिक सुरक्षा व्याप्ति को विस्तार देने हेतु एक विशेष पहल है। यह योजना 1 जुलाई से 31 दिसंबर 2025 तक सक्रिय रहेगी तथा यह अपंजीकृत नियोक्ताओं एवं कर्मचारियों, जिसमें संविदा एवं अस्थायी श्रमिक भी शामिल हैं, को बिना किसी निरीक्षण या पूर्व बकाया राशि की मांग के, पंजीकरण कराने का एकल अवसर प्रदान करती है।

स्प्री 2025 के अंतर्गत :

- नियोक्ता क.रा.बी.निगम पोर्टल, श्रम सुविधा तथा एम.सी.ए. प्रणाली के माध्यम से डिजिटल रूप से अपनी इकाइयों एवं कर्मचारियों का पंजीकरण कर सकते हैं।
- पंजीकरण को नियोक्ता द्वारा घोषित तिथि से प्रभावी माना जाएगा।
- पंजीकरण से पूर्व की अवधि के लिए कोई अंशदान या लाभ देय नहीं होगा।
- पंजीकरण-पूर्व अवधि के लिए कोई निरीक्षण या पूर्व अभिलेखों की मांग नहीं की जाएगी।

यह योजना पिछली अवधि के दंडात्मक प्रावधानों के भय को समाप्त करने तथा पंजीकरण प्रक्रिया को सहज बनाकर स्वैच्छिक अनुपालन को प्रोत्साहित करती है। स्प्री 2025 लागू होने से पूर्व, निर्धारित समय-सीमा के भीतर पंजीकरण न कराने की स्थिति में विधिक कार्रवाई एवं पूर्व अवधि की बकाया राशि की मांग की जा सकती थी। स्प्री 2025, इन बाधाओं को दूर करते हुए, अब तक वंचित प्रतिष्ठानों एवं श्रमिकों को क.रा.बी व्यवस्था के अंतर्गत लाने तथा समग्र सामाजिक सुरक्षा व्याप्ति सुनिश्चित करने का लक्ष्य रखती है।

स्प्री 2025 का शुभारंभ, कर्मचारी राज्य बीमा निगम द्वारा समावेशी एवं सुलभ सामाजिक सुरक्षा की दिशा में एक प्रगतिशील कदम है। पंजीकरण प्रक्रिया को सरल बनाकर एवं पिछली देनदारियों से प्रतिरक्षा प्रदान करते हुए यह योजना न केवल नियोक्ताओं को अपने कार्यबल को नियमित करने के लिए प्रोत्साहित करती है, बल्कि विशेष रूप से संविदात्मक क्षेत्रों में कार्यरत श्रमिकों को क.रा.बी अधिनियम के अंतर्गत आवश्यक स्वास्थ्य एवं सामाजिक लाभों तक पहुँच सुनिश्चित करती है। क.रा.बी.निगम अपनी पहुँच को सशक्त बनाने तथा सभी के लिए सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने के अपने दायित्व को पूरा करने के लिए प्रतिबद्ध है। यह प्रयास भारत में कल्याण-केंद्रित श्रम तंत्र की परिकल्पना के अनुरूप है।